9/4/18

[illegible] उपस्थित । [illegible] के समक्ष [illegible] में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली [illegible] दिनांक ---- को पेश हो ।

10/4/18

पेश हो ।

10/4/18

पत्रावली पेश हुई, [illegible] के समक्ष उपस्थित । [illegible] सुनवाई नहीं में [illegible] हो सकी । पत्रावली [illegible] दिनांक ---- को पेश हो ।

27/4/18

पेश हो । पत्रावली को ... लोक अदालत हेतु किया गया है पत्रावली वास्ते लोक अदालत केम्प-नोताडा दि० 27.6.18 को पेश हो।

27.6.18

पत्रावली लोक अदालत केम्प नोताडा में पेश हुई। उभयपक्ष मजमें आम में उपस्थित। उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष ने कथन किये कि विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दौरानें सेटलमेंट वादी की माता का नाम जेतून बेवा अहमद खां के स्थान पर गलती से छोटा जोजे अहमद खां दर्ज कर दिया, जो गलत है, क्योंकि छोटा जोजे अहमद नामक कोई महिला है ही नहीं और न थी। साथ ही कथन किये कि विवादित आराजी में से वादी, प्रतिवादी नं० 1 एवं प्रतिवादी नं० 2 ता 4 को 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। अन्त में निवेदन किया कि विवादित आराजी में से वादी की माता जेतून बेवा अहमद के स्थान पर दर्ज गलत नाम छोटा जोजे अहमद का

Scanned by CamScanner

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नाम डिलीट करनें की डिक्री पारित की जावें तथा विवादित आराजी में से वादी, प्रतिवादी नं0 1 एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 4 को 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें तथा स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादनी द्वारा वॉछित रिलीफ, प्रस्तुत किये गये साक्ष्यादि पर सम्यक् चिंतन किया गया। विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सं0 2067–70 खाता सं0 20 वाके ग्राम नोताडा के राजस्व रिकॉर्ड में छोटा जोजे अहमद खां हि0 1/8 दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके सम्बन्ध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से प्रमाणित होता है कि सेटलमेंट से पूर्व उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में छोटा जोजे अहमद खां नाम की कोई प्रविटि अंकित नहीं थी, किन्तु बाद सेटलमेंट छोटा जोजे अहमद खां दर्ज कर दिया। सरपंच ग्राम पंचायत नोताडा द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र भी जारी किया है कि छोटा जोजे अहमद खां नामक कोई महिला कभी भी नहीं रही है, इसका वास्तविक नाम व सही नाम छोटा बाई पत्नी अब्दुल रजाक है। मजमें आम में उभयपक्ष के मध्य सहमति कायम की गई कि विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम छोटा जोजे अहमद खां के स्थान पर छोटा बेवा अब्दुल रजाक दर्ज कर दिया जावें। उभयपक्ष द्वारा सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य है। लिहाजा वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम नोताडा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 951 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 1032 रकबा 0.87 हे0, ख0नं0 1033 रकबा 0.21 हे0, ख0नं0 1237 रकबा 0.91 हे0, ख0नं0 1238 रकबा 0.67 हे0, ख0नं0 1600 रकबा 1.00 हे0, ख0नं0 1601 रकबा 2.03 हे0 कुल किता 7 रकबा 5.79 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रविष्टि नाम छोटा जोजे अहमद खा के स्थान पर छोटा बेवा अब्दुल रजाक दर्ज किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प नोताडा मालियान

उनवान

1. रूकनुद्दीन पुत्र अहमद खां (मृतक) जरिये कायम मुकामान–
1/1. मोहम्मद अली पुत्र रूकनुद्दीन
1/2. ऐहसान अली पुत्र रूकनुद्दीन
1/3. इंसाफ अली पुत्र रूकनुद्दीन
1/4. इरशाद खान पुत्र रूकनुद्दीन
1/5. छन्नो बाई पुत्री रूकनुद्दीन
1/6. सितारा बाई पुत्री रूकनुद्दीन
1/7. शबाना पुत्री रूकनुद्दीन
1/8. बशीरन बेवा रूकनुद्दीन जाति मुसलमान निवासीगण नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. सिद्दीक पुत्र अहमद खां मृतक जरिये कायम मुकामान–
1/1. मोहम्मद हुसैन पुत्र सिद्दीक
1/2. निसार पुत्र सिद्दीक
1/3. खेरून्निसा पुत्री सिद्दीक
1/4. परमा पुत्री सिद्दीक
1/5. जैतून बेवा सिद्दीक
2. जल्फिकार पुत्र अब्दुल रजाक
3. रसूल मोहम्मद पुत्र अब्दुल रजाक
4. छोटा बेवा अब्दुल रजाक
5. बशीर खां पुत्र अलादीन
6. फकरूद्दीन पुत्र रूस्तम खां
7. चांद खां पुत्र रूस्तम खां
8. मिट्ठू बक्श पुत्र रूस्तम खां
9. परवीन पुत्री रूस्तम खां
10. कमला बाई बेवा रूस्तम खां
11. अब्दुल रशीद पुत्र गफूर
12. हारिक मोहम्मद पुत्र गफूर
13. शकीला पुत्री गफूर
14. रजिया पुत्री गफूर
15. मन्नी बेवा गफूर जाति मुसलमान निवासीगण नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट
मिसल नम्बर– 86 / 15

Scanned by CamScanner

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब मुददालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम नोताडा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 951 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 1032 रकबा 0.87 हे0, ख0नं0 1033 रकबा 0.21 हे0, ख0नं0 1237 रकबा 0.91 हे0, ख0नं0 1238 रकबा 0.67 हे0, ख0नं0 1600 रकबा 1.00 हे0, ख0नं0 1601 रकबा 2.03 हे0 कुल किता 7 रकबा 5.79 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रविष्टि नाम छोटा जोजे अहमद खां के स्थान पर छोटा बेवा अब्दुल रजाक दर्ज किया जावें।" तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 27.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner